बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

-: आदेश :-

ज्ञापांक–11/आ०वि०–18/2019 सा०प्र०..................पटना–15, दिनांक–.....................

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–2(3) में अंकित प्रावधानों के अनुरूप गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधीन चालक सिपाही का पद, जिसे प्रशासी विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के कर्तव्य निवर्हन के लिए अनुपयुक्त माना गया है, को नियुक्ति के क्रम में दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त आदेश निर्गत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–2(3) में इसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

ह0/–

(रजनीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0वि0–18/2019 सा0प्र0 18675 पटना–15, दिनांक– 21.11.24

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निःशक्तता आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), बिहार, पटना/बिहार पुलिस सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र प्राप्ति शाखा
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
स्कैनिंग सं० B-3640 दिनांक 27.11.24
ई० ऑफिस सं०- 3391866

FILE PATH-D/DIVYANG LETTER